हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला–4, 24 अगस्त, 2011

संख्या : वि0 स0–वि0–सरकारी विधेयक/1–32/2011.–हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक संख्यांक 16) जो आज दिनांक 24 अगस्त, 2011 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

आदेश द्वारा,
गोवर्धन सिंह,
सचिव,
हिमाचल प्रदेश विधान सभा।

———————

2011 का विधेयक संख्यांक 16

हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम संख्यांक 9) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक ।**

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. **संक्षिप्त नाम.–**इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2011 है ।

2. धारा'–क का संशोधन.–हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 की धारा 6–क में ,–

(क) उपधारा (1) में, "पन्द्रह दिन" शब्दों के स्थान पर "तीस दिन" शब्द रखें जाएंगे; और

(ख) उपधारा (2) में, "पूर्ववर्ती पाक्षिक अवधि के लिए पाक्षिक आधार पर देय कर की पूर्ण रकम" शब्दों के स्थान पर "पूर्ववर्ती मास की अवधि के लिए मासिक आधार पर देय कर की पूर्ण रकम ऐसे मास के अवसान के तीस दिन के भीतर" शब्द रखे जाएंगे ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 की धारा 6–क के अधीन, प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी से ऐसे मास के अवसान से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर मासिक विवरणी प्रस्तुत करना और पूर्ववर्ती पाक्षिक अवधि के लिए पाक्षिक आधार पर देय कर की पूर्ण रकम जमा करना अपेक्षित है । व्यौहारियों और विनिर्माण करने वाले सेक्टर द्वारा पाक्षिक आधार पर प्रवेश कर को जमा करने में आ रही व्यावहारिक कार्यचालन कठिनाईयों को दूर करने के आशय से तथा बेहतर अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए पूर्वोक्त अधिनियम के सुसंगत उपबन्धों में संशोधन करके प्रवेश कर के संदाय की अवधि को विद्यमान पन्द्रह दिन से बढ़ाकर तीस दिन करने और मासिक विवरणी को दायर करने के लिए विद्यमान पाक्षिक अवधि के स्थान पर एक मास का समय अनुज्ञात करने का विनिश्चय किया गया है । ऐसा करने से, व्यौहारियों को पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन देय कर की पूर्ण रकम को जमा करने और विवरणियों को दायर करने के लिए अधिक समय मिल जाएगा । इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है ।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

(प्रेम कुमार धूमल)
मुख्य मन्त्री ।

शिमला:.....
तारीख , ... 2011

————————

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक न तो किसी प्रकार के कर का उद्ग्रहण करने के लिए और न ही उसमें छूट देने के लिए तात्पर्यित है । विधेयक के उपबंध अधिनियमित किए जाने के पश्चात्, राजकोष से कोई अतिरिक्त व्यय उपगत किए बिना विद्यमान सरकारी तन्त्र द्वारा प्रशासित किए जाएंगे ।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

––शून्य––

————————

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 16 of 2011.

THE HIMACHAL PRADESH TAX ON ENTRY OF GOODS INTO LOCAL AREA (SECOND AMENDMENT) BILL, 2011

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

Bill

further to amend the Himachal Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Area Act, 2010 (Act No. 9 of 2010).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Area (Second Amendment) Act, 2011.

2. Amendment of section 6-A.—In section 6-A of the Himachal Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Area Act, 2010,-

(a) in sub-section (1), for the figures and word "15 days", the figures and word "30 days" shall be substituted; and

(b) in sub-section (2), for the words "fortnightly basis for the period of preceding fortnight", the words and figures "monthly basis for the period of preceding month within 30 days from the expiry of such month" shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Under section 6-A of the Himachal Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Area Act, 2010, every registered dealer is required to furnish monthly return within 15 days from the expiry of such month and deposit full amount of tax due on fortnightly basis for the period of preceding fortnight. In order to avoid practical operational difficulties of depositing Entry Tax on fortnightly basis being faced by the dealers and manufacturing sector and to ensure better compliance, it has been decided to extend the

period of payment of Entry Tax from existing 15 days to 30 days and to allow one month's time instead of existing fortnight for filing of monthly return by amending the relevant provisions of the Act ibid. By doing so, the dealers will get more time to deposit full amount of tax due and to file returns under the Act ibid. This has necessitated amendment in the Act ibid.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(PREM KUMAR DHUMAL)
Chief Minister.

Shimla: .....
The.....2011.

FINANCIAL MEMORANDUM

The Bill does not purport either to levy or to exempt any tax. The provisions of the Bill, after its enactment will be administered by the existing machinery without incurring any additional expenditure from the State Exchequer.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil—